न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 306 / 2023
अनवान : –

1. जगसिर सिंह पुत्र आत्मासिंह जाति जटसिख निवासी सोती पड़ीहारी तहसील नोहर।
2. गुरसेवक सिंह पुत्र आत्मासिंह जाति जटसिख निवासी सोती पड़ीहारी तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. आत्मासिंह पुत्र गुरमुखसिंह जाति जटसिख निवासी सोती पड़ीहारी तहसील नोहर।
2. गुरदीप सिंह पुत्र आत्मासिंह जाति जटसिख निवासी सोती पड़ीहारी तहसील नोहर।
3. कुलदीप कौर पुत्री आत्मासिंह जाति जटसिख निवासी सोती पड़ीहारी तहसील नोहर।
4. राजेन्द्र कौर पुत्री आत्मासिंह जाति जटसिख निवासी सोती पड़ीहारी तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 4/01/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 113 / 108 की कुल 4.5540 हैक्ट भूमि में से 5 / 18 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 25 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंद सम्वत 2069–72 के खाता संख्या 81 / 66 की कुल 8.8550 हैक्ट भूमि में से 8 / 35 हिस्सा व 26 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 93 / 83 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि में से 42 / 253 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण से प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गयी इसलिए उक्त वाद भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिब खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीया संख्या 3, 4 जो की वादी की बहिन उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है बाद हक त्याग मुताबिक समझौता रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 113 / 108 की कुल 4.5540 हैक्ट भूमि के 5 / 18 हिस्सा भूमि में [illegible] हैक्ट भूमि पर वादी काबिज है शेष भूमि पर वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 2 बहिब काबिज है व रोही मौजा 25 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2069–2072 के खाता संख्या 81 / 66 की कुल 8.8550 हैक्ट भूमि में से 8 / 35 हिस्सा में वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 2 बहिब काबिज है एवं 26

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 12:09:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 93/83 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि में से 42/253 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 यथावत काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी व सदस्य प्रमाण आदि पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 3 व 4 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिकी फरमाया जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 113/108 की कुल 4.5540 हैक्ट भूमि में से 5/18 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 25 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंद सम्वत 2069–72 के खाता संख्या 81/66 की कुल 8.85[illegible] हैक्ट भूमि में से 35 हिस्सा व 26 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 93/83 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि में से 42/253 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 12:09:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), नोहर (हनुमानगढ़)

दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि वादीगण की संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 113/108 की कुल 4.5540 हैक्ट भूमि के 5/18 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर 0.253 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष भूमि का वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा 25 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2069–2072 के खाता संख्या 81/66 की कुल 8.8550 हैक्ट भूमि में से 8/35 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 2 तीनों को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा 26 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 93/83 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि में से 42/253 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 5/01/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 12:09:34 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 306/2023

अनवान : –

1. जगसिर सिंह पुत्र आत्मासिंह जाति जटसिख निवासी सोती पड़ीहारी तहसील नोहर।
2. गुरसेवक सिंह पुत्र आत्मासिंह जाति जटसिख निवासी सोती पड़ीहारी तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. आत्मासिंह पुत्र गुरमुखसिंह जाति जटसिख निवासी सोती पड़ीहारी तहसील नोहर।
2. गुरदीप सिंह पुत्र आत्मासिंह जाति जटसिख निवासी सोती पड़ीहारी तहसील नोहर।
3. कुलदीप कौर पुत्री आत्मासिंह जाति जटसिख निवासी सोती पड़ीहारी तहसील नोहर।
4. राजेन्द्र कौर पुत्री आत्मासिंह जाति जटसिख निवासी सोती पड़ीहारी तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 306 सन 2023 निर्णय दिनांक 4/01/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 14 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 113/108 की कुल 4.5540 हैक्ट भूमि के 5/18 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर 0.253 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है शेष भूमि का वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा 25 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2069–2072 के खाता संख्या 81/66 की कुल 8.8550 हैक्ट भूमि में से 8/35 हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 2 व प्रतिवादी संख्या 2 तीनों को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा 26 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 93/83 की कुल 6.3250 हैक्ट भूमि में से 42/253 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 4/01/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 12:09:34 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर